जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-05.06.2025**

थाना कोतवाली शामली/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 05.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.वैभव मलिक उर्फ मोनू पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम बहावडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.रोहित पुत्र राजाराम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.शौकीन पुत्र महबूब निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली।

4.मीरु पुत्र महबूब निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली।

5.आशु पुत्र शहीद निवासी सब्जी मण्डी थाना कांधला जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2015 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र स्व0 जयभगवान 2.रजनीश पुत्र रोहताश निवासीगण ग्राम सरनावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 3.सुमित पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम मलसी थाना तितरों जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। इसी क्रम में आज दिनांक 05.06.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त सचिन, रजनीश, सुमित उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 364 भादवि में 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 5,000-5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास एवं धारा 376D भादवि व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10,000-10,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.सचिन पुत्र स्व0 जयभगवान निवासी ग्राम सरनावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2.रजनीश पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सरनावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

3.सुमित पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम मलसी थाना तितरों जनपद सहारनपुर।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 4,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2010 में अभियुक्तगण 1.वकील पुत्र जहूर 2.शकील पुत्र जहूर 3.इकराम पुत्र कुम्मत निवासीगण ग्राम गढीदौलत थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 259/2010 धारा 430 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500-1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>